



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 जुलाई, 2011

श्रावण 5, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग—५

संख्या 2510/79-5-2011-29/09.

लखनऊ, 27 जुलाई, 2011.

अधिसूचना

सा०प०नि०-६२

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2009) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011

भाग—एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह नियमावली “उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ नियमावली, 2011” कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस शर्त के अधीन प्रवृत्त रहेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त निधि अनवरत रूप से उपलब्ध करायी जाती रहेगी।

परिमाषार्ण

2-(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009” से है;

(ख) “आंगनबाड़ी” का तात्पर्य भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र से है;

(ग) “नियत दिनांक” का तात्पर्य अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल, 2010 से है;

(घ) “अध्याय”, “धारा” एवं “अनुसूची” का तात्पर्य क्रमशः अधिनियम के अध्याय, उसकी धारा एवं अनुसूची से है;

(ङ) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र से है;

(च) “पास-पड़ोस” का तात्पर्य नियम-4 में विनिर्दिष्ट आबादी क्षेत्र से है;

(छ) “शिष्य संचयी अभिलेख” का तात्पर्य व्यापक एवं सतत मूल्यांकन पर आधारित बालकों की प्रगति के अभिलेख से है;

(ज) “विद्यालय माननिक्त्रण” का तात्पर्य सामाजिक विभेदों और भौगोलिक दूरी को दूर करने के लिए विद्यालय की अवस्थिति के नियोजन से है;

(झ) “विनिर्दिष्ट प्रतिमान” का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों और मानकों से है;

(ञ) “जिला शिक्षा अधिकारी” का तात्पर्य यथास्थिति बेसिक शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

भाग-दो

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

विशेष प्रशिक्षण
(धारा - 4)

3-(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति/स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर 6 वर्ष से अधिक आयु के विद्यालय कभी न गये अथवा विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों को चिह्नित करेगा, पड़ोसी विद्यालय में उह्हें आयु-संगत कक्षा में प्रवेश करायेगा, उनके सीखने के स्तर का मूल्यांकन करेगा और तदनुसार यथापेक्षा उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात्—

(क) विशेष प्रशिक्षण विशेष रूप से अभिकल्पित तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुमोदित आयु-संगत अधिगम सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) विशेष प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में कक्षाएं संचालित करके या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में कक्षाएं संचालित करके प्रदान किया जायेगा;

(ग) विशेष प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों द्वारा या उक्त प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया जायेगा;

(घ) विशेष प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम तीन माह की होगी, जिसमें सीखने की प्रगति (लर्निंग प्रोग्रेस) के आवधिक निर्धारण के आधार पर अधिकतम अनधिक दो वर्ष की अवधि तक वृद्धि की जा सकेगी।

(2) आयु-संगत कक्षा में प्रवेश पर विशेष प्रशिक्षण के पश्चात कक्षा के अन्य बालकों के साथ शैक्षणिक और भावात्मक रूप से सफलता पूर्वक जुड़ने योग्य बनाने के लिए बालकों का अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान रखा जायेगा।

भाग-तीन

राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

4-(1) पास पड़ोस का क्षेत्र या सीमा, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा विद्यालय की स्थापना की जानी है, निम्नवत् होगी:—

पास-पड़ोस का
क्षेत्र या सीमाएँ
धारा- 6

(क) कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है;

(ख) कक्षा छ: से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनार्थ पद “राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, यथास्थिति, धारा-10 या धारा-10 के अन्तर्गत स्थापित समिति से है।

(2) ऐसे क्षेत्रों के बालकों के लिए जहाँ उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पड़ोस की परिधि के अन्तर्गत विद्यालय की व्यवस्था करना संभव न हो वहाँ राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उपबन्धों में शिथिलता प्रदान करते हुए पर्याप्त व्यवस्था करेगी, यथा निःशुल्क यातायात, आवासीय सुविधा आदि।

(3) स्थानीय प्राधिकारी अर्थात् यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत किसी पड़ोसी विद्यालय को चिह्नित करेगा जहाँ बालकों को प्रवेश दिलाया जा सके तथा प्रत्येक बस्ती के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

(4) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में, जो उन्हें विद्यालय जाने से रोकती हों, जिला शिक्षा अधिकारी के पूर्वानुमोदन से स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय पहुँचने और प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने हेतु उनके लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के कारण बालकों को विद्यालय पहुँचने में कोई बाधा न आये।

5-(1) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (एक) में सन्दर्भित राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अधिनियम की धारा धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (दो) में सन्दर्भित विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक और अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक प्रत्येक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और प्रत्येक वर्ष में एक बार वर्दी के लिए हकदार होगा;

राज्य सरकार एवं
स्थानीय प्राधिकारी
के कर्तव्य
धारा-8 और 9

परन्तु किसी निःशक्तता से ग्रस्त बालक को निःशुल्क विशेष शिक्षा, सहायक सामग्री एवं उपकरण भी निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्पष्टीकरण:— धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में प्रवेश दिये गये बालक और धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश दिये गये किसी बालक के सम्बन्ध में निःशुल्क शिक्षा का हक दिलाने की जिम्मेदारी, क्रमशः धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (दो) और धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय का होगा।

(2) पड़ोसी विद्यालयों के अवधारण और उनकी स्थापना के प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकारी (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) विद्यालय वा. मानविक्रिया करेगा और दूरवर्ती क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तता से ग्रस्त बालकों, साधनहीन वर्ग के बालकों, कमज़ोर वर्ग के बालकों तथा धारा 4 में सन्दर्भित बालकों सहित समस्त बालकों का चिह्नांकन दिनांक 31 मार्च तक प्रत्येक वर्ष करेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विद्यालय में किसी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म अथवा लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव न किया जाय।

(4) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षा में, मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, स्तम्भान्य पेयजल एवं प्रसाधन सुविधाओं के प्रयोग में एवं प्रसाधनों अथवा कक्षाओं की सफाई में कमज़ोर एवं साधनहीन वर्ग के बालकों के साथ कोई विभेदकारी अथवा अलगाववादी व्यवहार न किया जाय।

स्थानीय प्राधिकारी
द्वारा बालकों के
अभिलेखों का
अनुरक्षण
[धारा-9 (घ)]

6-(1) स्थानीय प्राधिकारी (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) अपनी अधिकारिता के समस्त बालकों का जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक का अभिलेख सर्वेक्षण के माध्यम से अनुरक्षित रखेगा।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक बालक का नामांकन, उपस्थिति, अधिगम सम्प्राप्ति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करने और उसका अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक बालक को एक अनन्य पहचान संख्या आवंटित की जायेगी।

(3) उपनियम (1) में सन्दर्भित अभिलेख को—

(क) प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जायेगा;

(ख) सार्वजनिक रूप में पारदर्शिता पूर्वक अनुरक्षित किया जायेगा और स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के अन्तर्गत निवास करने वाले प्रत्येक बालक के प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने को सुनिश्चित करने एवं उसका अनुश्रवण करने के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

(4) प्रत्येक बालक के सम्बन्ध में उपनियम (1) में सन्दर्भित अभिलेख को विहित प्रपत्र में अनुरक्षित रखा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होगा :—

(क) नाम, लिंग, जन्मतिथि और जन्मस्थान;

(ख) माता-पिता/अभिभावक का नाम, पता और व्यवसाय;

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र जहाँ (6 वर्ष की आयु तक) बालक रहा हो;

(घ) प्रारंभिक विद्यालय जहाँ बालक ने प्रवेश लिया हो;

(ङ) बालक का वर्तमान पता;

(च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा हो;

(छ) यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत 6-14 वर्ष की आयु के किसी बालक की शिक्षा में व्यवधान होता है तो ऐसे व्यवधान का कारण;

(ज) किया बालक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) के अर्थात्तर्गत कमज़ोर वर्ग का है;

(झ) किया बालक अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थात्तर्गत साधनहीन वर्ग का है;

(ज) प्रवर्जन और कम जनसंख्या, आयु-संगत प्रवेश और निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं अथवा आकासीय सुविधाओं की अपेक्षा रखने वाले बालकों का विवरण।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अधिकारिता के अधीन के विद्यालयों में नामांकित समस्त बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हों।

(6) जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (4) में सन्दर्भित सूचना जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित एवं अद्यतन रहे।

भाग—चार

विद्यालयों एवं अध्यापकों के उत्तरदायित्व

7—(1) धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त बालकों को कक्षा में अन्य बालकों से अलग नहीं किया जायेगा और न ही अन्य बालकों के लिए संचालित कक्षाओं से अलग स्थान एवं समय पर उन बालकों की कक्षा संचालित की जायेगी।

कमज़ोर वर्ग एवं साधनहीन वर्ग के बालकों का प्रवेश [धारा—12(1) (ग)]

(2) धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में सन्दर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 12 (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त बालकों का हक्कों और सुविधाओं यथा पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय और सूचना संचार और प्रौद्योगिकी सुविधाओं, पाठ्यचर्यत्तर क्रियाकलापों और खेलकूद के सम्बन्ध में किसी भी रूप में शोष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।

(3) नियम 4 (1) में विनिर्दिष्ट पड़ोसी विद्यालय की सीमायें या क्षेत्र धारा 12 के खण्ड (ग) के अनुसरण में किये गये प्रवेशों के लिए उपयोजित होंगे:

परन्तु धारा 12 (1) के खण्ड (ग) में सन्दर्भित बालकों के लिए स्थानों के अपेक्षित प्रतिशत को पूरा करने के प्रयोजनार्थ विद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन सीमाओं को बढ़ा सकता है।

(4) स्थानीय प्राधिकरण (यथास्थिति ग्राम पंचायत/नगर निगम/ नगर पालिका/नगर पंचायत) अपनी अधिकारिता के अधीन निजी एवं विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में पढ़ने वाले कमज़ोर एवं साधनहीन वर्ग के समस्त बालकों की नामवार सूची एवं अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बालकों का प्रवेश [धारा—12 (1) (ख) और (ग) एवं धारा—12 (2)]

8—(1) धारा 12 (1) के खण्ड (ख) और (ग) में सन्दर्भित बालकों के प्रवेश की प्रक्रिया निम्नलिखित रीति से पूर्णतः पारदर्शी होगी। प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले ऐसे बालकों का विवरण विद्यालय द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें बालक का नाम, पता, लिंग, जाति, जन्मतिथि एवं पिता/माता/अभिभावक का नाम, पता, व्यवसाय एवं मासिक आय, बालक के कमज़ोर वर्ग या साधनहीन वर्ग के होने का विवरण सम्मिलित होगा। इस सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा। कुल आवेदकों में से, समस्त बालकों, जिन्होंने प्रवेश हेतु आवेदन किया हो, किन्तु किसी कारणवश उनका प्रवेश न हुआ हो, को कारण सहित लिखित रूप में सूचित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विहित प्रवेश प्रक्रिया का अनुसरण करना भी विद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बालकों का प्रवेश [धारा—12 (1) (ख) और (ग) एवं धारा—12 (2)]

(2) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त या नियंत्रित समस्त विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर राज्य सरकार द्वारा स्वयं अपनी निधियों से एवं केन्द्र सरकार तथा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, ऐसे, सभी विद्यालयों में 30 सितम्बर को नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक उपगत किया गया व्यय होगा।

स्पष्टीकरण:—प्रति—बालक व्यय को अवधारित करने के प्रयोजनार्थ धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (दो) में सन्दर्भित विद्यालयों और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (चार) में सन्दर्भित प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में पृथक बैंक खाता अनुरक्षित रखेगा।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करने वाला प्रत्येक विद्यालय अनन्य पहचान संख्या सहित बालकों की सूची और शिक्षा निदेशक, (बैसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर समस्त आवश्यक विवरण के साथ-साथ साक्ष्य सहित विद्यालय द्वारा उपगत मदवार व्यय का विवरण प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायेगा:

परन्तु जहाँ ऐसे विद्यालय, निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि/भवन/उपकरण अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों, वहाँ ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी आवश्यक सत्यापन के पश्चात देय प्रतिपूर्ति धनराशि को उपनियम (3) में सन्दर्भित खाते में अंतरित करेगा तथा उक्त सूचना को वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करेगा।

(6) यदि किसी भी स्तर पर विद्यालय द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करके उसे प्राप्त किया गया पाया जाता है तो उसे विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही और भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सहित इस प्रकार प्राप्त की गयी धनराशि की दुगनी धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी और यह धनराशि कलेक्टर द्वारा भूमि राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में वसूली जायेगी।

आयु के प्रमाण हेतु
दस्तावेज
(धारा-14)

9-जब कभी जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को बालक की आयु के प्रमाण के रूप में समझा जायेगा:

(क) अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख;

(ख) आंगनबाड़ी का अभिलेख;

(ग) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी;

(घ) मातां-पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की शष्ठ पत्र के माध्यम से घोषणा।

विद्यालय में प्रवेश
के लिए बढ़ायी
गयी अवधि
(धारा-15)

10-(1) प्रवेश की बढ़ायी गयी अवधि किसी विद्यालय का शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह अर्थात् सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात 30 सितम्बर तक होगी।

(2) जहाँ किसी बालक को किसी विद्यालय में बढ़ायी गयी अवधि के पश्चात प्रवेश दिया जाता है, वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए पात्र होगा/होगी।

विद्यालय की
मान्यता
(धारा-18)

11-(1) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालयों से भिन्न उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व स्थापित प्रत्येक विद्यालय, प्रपत्र-एक में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, जो प्राधिकृत अधिकारी होगा, के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिनामों और मानकों तथा निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में स्वघोषणा करेगा, अर्थात् :-

(क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21, सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित है;

(ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं है;

(ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित हैं;

(घ) विद्यालय भवन या ढाँचागत संरचनायें या प्रांगण केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाते हैं;

(ड.) विद्यालय राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है;

(च) विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी/शिक्षा निदेशक अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है जैसाकि विद्यालय की कार्यप्रणाली में मान्यता की शर्त की निरन्तर पूर्ति या विद्यालय के कार्य करने में कमियों के निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए जारी किये जायें।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र-एक पर प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणा पत्र को, प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों का प्रपत्र-एक में स्वघोषणा पत्र की प्राप्ति के तीन माह के भीतर स्थलीय निरीक्षण संचालित करेगा जो उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों को पूरा करने का दावा करते हैं।

(4) उपनियम (3) में सन्दर्भित निरीक्षण करने के पश्चात् निरीक्षण आख्या, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक की जायेगी तथा प्रतिमानों, मानकों एवं शर्तों के अनुरूप पाये गये विद्यालयों को निरीक्षण के दिनांक से 60 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रपत्र-दो पर मान्यता प्रदान की जायेगी।

(5) उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप जो विद्यालय नहीं हैं उनकी सूची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी और कमियों को उल्लिखित करते हुए अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक की जायेगी तथा उसको वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। ऐसे विद्यालय अगले दो वर्षों के भीतर किसी भी समय मान्यता की स्वीकृति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

(6) ऐसे विद्यालय, जो अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् भी उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप न हों, कार्य करने से प्रविरत हो जायेंगे।

(7) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात की गई है, मान्यता के लिए अह होने हेतु उपनियम (1) में उल्लिखित प्रतिमानों, मानकों और शर्तों के अनुरूप होगा।

(8) प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की एक पंजी अनुरक्षित करेगा और ऐसे प्रत्येक विद्यालय को संख्या आवंटित करेगा।

12-(1) जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो वह निम्नवत् कार्यवाही करेगा:-

विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण
[(धारा-18)(3)]

(क) मान्यता स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करेगा और उससे एक माह के अन्दर स्पष्टीकरण मांगेगा;

(ख) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाय या निर्धारित समयावधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी किसी ऐसे तीन सदस्यों की समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करायेगा, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि और एक शिक्षाविद् होगा। समिति विद्यालय की सम्यक् जाँच कर, मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या ऐसे निरीक्षण की तिथि से 20 दिन की अवधि के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। ऊपर सन्दर्भित समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं जिला मजिस्ट्रेट को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(2) समिति की संस्तुतियों के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विद्यालय से स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए 10 दिन के भीतर पत्र भेजकर विद्यालय को स्पष्टीकरण देने के लिए 30 दिन का समय देगा और प्राप्त स्पष्टीकरण का सम्यक परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर अपनी संस्तुति राज्य के शिक्षा विभाग को एक माह की अवधि के भीतर प्रेषित करेगा:

परन्तु यह कि जिला मजिस्ट्रेट का यह प्राधिकार होगा कि वह समिति की संस्तुति का राज्य शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किये जाने के पूर्व पुनः परीक्षण करा लें।

(3) उपनियम (2) में सन्दर्भित संस्तुतियों के आधार पर राज्य का शिक्षा विभाग संस्तुतियां प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा और उक्त के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा।

(4) राज्य के शिक्षा विभाग के विनिश्चय के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता रद्द करने का आदेश्यपरक आदेश विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से 07 दिन के भीतर पारित करेगा। मान्यता रद्द किये जाने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षणिक सत्र से प्रचालित होगा तथा उसमें ऐसे पड़ोसी विद्यालय भी विनिर्दिष्ट होंगे, जिनमें मान्यता रद्द किये गये विद्यालयों के बालकों का प्रवेश किया जायेगा।

(5) उपनियम (4) के अंतर्गत किया गया आदेश सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी संसूचित किया जायेगा तथा उसे वेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

भाग—पाँच विद्यालय प्रबन्ध समिति

विद्यालय प्रबन्ध
समिति का गठन
एवं कार्य
(धारा—21)

13—(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन उसकी अधिकारिता में गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

(2) विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता—पिता अथवा संरक्षक होंगे:

परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी।

(3) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों में निम्न व्यक्ति होंगे अर्थात्—

(क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, का विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाईफ (ए०एन०एम०) में से, लिया जायेगा जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल;

(घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक होगा, जो पदेन सदस्य—सचिव होगा।

(4) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमज़ोर वर्ग के बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

(5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बालक का माता-पिता/संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा।

(6) विद्यालय प्रबन्ध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(7) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी और बैठकों का कार्यवृत्त तथा विनिश्चय उचित प्रकार से अभिलिखित किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा।

(8) विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य-समूहों का गठन कर सकती है-

(क) सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम में प्रतिपादित बालक के अधिकार एवं माता-पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराना;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) एवं (ड) तथा धारा 28 के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता-पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बालक की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अवगत करायें और यह कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त नहीं है;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के कार्यान्वयन हेतु यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर दसवार्षीकी आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों अथवा यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडल अथवा संसद के निर्वाचन सम्बन्धी कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाये;

(घ) विद्यालय में आस-पास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना;

(ङ.) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों के रखरखाव का अनुश्रवण करना;

(च) बालक के अधिकारों के किसी भी अपसरण से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समर्यान्तर्गत उपबन्ध को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना;

(छ) जहाँ किसी बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु-संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नांकन, योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों का विह्वांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना;

(झ) विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना;

(झ) विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।

(9) विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट लेखों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विद्यालय विकास योजना की तैयारी
(धारा-22)

14-(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी जिसकी उपयोजना के रूप में तीन वार्षिक योजनायें होगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होंगे अर्थात्:-

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन;

(ख) विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए कक्षा एक से पाँच तक तथा कक्षा छः से आठ तक के लिए अलग-अलग अतिरिक्त 'अध्यापकों, प्रधान अध्यापकों' सहित विषय अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों की संख्या की आवश्यकता;

(ग) विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्करों आदि की भौतिक आवश्यकता;

(घ) बालकों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की अतिरिक्त आवश्यकता सहित खण्ड (ख) एवं (ग) के सम्बन्ध में तीन वर्ष की अवधि के लिए वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता और आयु-संगत कक्षा में प्रविष्ट बालकों को विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य वित्तीय आवश्यकता।

(4) विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास उस वित्तीय वर्ष जिसमें उसे तैयार किया जाना हो, की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भाग-छ:

अध्यापक

अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता
[धारा-23 (1)]

न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का शिथिलीकरण
[धारा-23 (2)]

15-केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारा 2 खण्ड (द्वि) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय पर लागू होगी।

16-(1) धारा 2 खण्ड (द्वि) में निर्दिष्ट राज्य के समस्त विद्यालयों हेतु अनुसूची के मानकों के अनुसार राज्य सरकार अध्यापक आवश्यकता का आगणन करेगी।

(2) यदि उपनियम (1) के अनुसार आगणित संख्या में न्यूनतम विहित अर्हताधारी अध्यापक उपलब्ध न हों, तो राज्य सरकार विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में शिथिलीकरण के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन किये गये अनुरोध पर न्यूनतम अर्हता में शिथिलीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद राज्य सरकार यथा आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(4) न्यूनतम अर्हताओं में शिथिलता, अधिनियम लागू होने से अधिकतम पाँच वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2015 तक ही होगी, इस अवधि में ही शिथिलीकरण की शर्तों के अधीन नियुक्त अध्यापकगण को नियम 15 के अधीन विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अर्जित करनी होगी।

(5) उपरोक्त उपनियम (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना के अभाव में नियम 15 में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने वाले किसी व्यक्ति को किसी विद्यालय में अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

17-(1). राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वप्राप्त अथवा नियंत्रित विद्यालयों अथवा विशिष्टिकृत विद्यालयों के वे समस्त अध्यापक, जो अधिनियम लागू होने के समय नियम 15 के अधीन निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं, द्वारा अधिनियम के लागू होने के पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर ऐसी निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने के उददेश्य से राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी से अध्यापक शिक्षा की क्षमता-वृद्धि एवं दूरस्थ माध्यम से अध्यापक प्रशिक्षण की अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करेगी। राज्य सरकार अपेक्षानुसार उक्त सुविधाओं का अनुमोदन प्राप्त होने पर ऐसे समस्त अध्यापकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगी।

न्यूनतम अर्हताओं
का अर्जन
[(धारा-23 (2)) का
परन्तु]

(2) सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रबन्धतांत्र ऐसे अध्यापकों, जो अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय नियम 15 के अधीन निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें नहीं रखते हैं, को अधिनियम के प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ऐसी न्यूनतम अर्हताओं के योग्य बनायेगा।

18-प्रत्येक प्रकार के विद्यालय के अध्यापकों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें ऐसी सेवा नियमावली से शासित होंगी, जैसा कि उस विद्यालय के अध्यापकों के लिए लागू होती हैं।

अध्यापकों के वेतन
एवं भत्ते तथा सेवा
की शर्तें
[(धारा-23 (3))]

19-(1) कोई अध्यापक :-

(क) विद्यालय में नियमित और समय से उपस्थिति, नियमित शिक्षण, विद्यार्थियों के लेखन कार्य का नियमित शुद्धिकरण तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रति उत्तरदायी होगा;

अध्यापकों द्वारा
निष्पादित किये
जाने वाले कर्तव्य
[(धारा-24 (1) च)]

(ख) प्रत्येक बालक की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, सीखने की क्षमता तथा प्रगति का अनुश्रवण करेगा, नियमित रूप से बालकों के कार्यनिष्पादन पर माता-पिता के साथ चर्चा करेगा;

(ग) जब अपेक्षा की जाय, तब विद्यालय प्रबन्ध समिति के क्रियाकलापों के प्रबन्धन में सहयोग करेगा;

(घ) स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में समस्त बालकों के विद्यालय में प्रवेश के लिए स्थानीय प्राधिकारी की यथा अपेक्षित सहायता करेगा;

(ङ) बालकों के ज्ञान की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी योग्यता की जाँच तथा सतत मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बालक के शिष्य संचयी अभिलेखेयुक्त फाईल अनुरक्षित रखेगा तथा जिसके आधार पर पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(2) उपनियम (1) में वर्णित कर्तव्यों और धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ड) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, अध्यापक/अध्यापिका सौपे गये निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा/करेगी :—

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग करना;

(ख) पाठ्यचर्चा की संरचना और पाठ्यक्रम का विकास, प्रशिक्षण माड्यूल तथा पाठ्यपुस्तकों के विकास में प्रतिभाग करना।

(ग) विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकनों की पहल में सहयोग करना।

(3) अध्यापकों का नियुक्ति प्राधिकारी अधिनियम की धारा 24 (1) में उल्लिखित कर्तव्यों और उपरिलिखित नियम 19 (1) एवं (2) में यथानिर्धारित दायित्व को सेवा शर्तों के रूप में अध्यापकों की सेवा नियमों में सम्मिलित करेगा। अध्यापकों के लिए पुरस्कारों और दण्डों के साथ-साथ वृत्ति विकास का विनिश्चय करने में सेवा नियमावली में, नियम 22 (3क) एवं (3ख) के अधीन, विद्यालय के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकनों के परिणामों पर भी विचार किये जाने की व्यवस्था होगी।

अध्यापकों के शिकायत निवारण का तौर-तरीका
[धारा-24 (3)]
प्रत्येक विद्यालय में शिष्ट-अध्यापक अनुपात बनाये रखना
(धारा-25)

20—अध्यापकों की शिकायत निवारण की प्रथम व्यवस्था धारा 21 के अधीन गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के स्तर पर होगी और उसके बाद स्थानीय प्राधिकारी के स्तर पर होगी।

21—(1) जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या अधिसूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या सम्बन्धित विद्यालय को एवं स्थानीय प्राधिकारी को भी सूचित की जायेगी।

परन्तु ऐसी अधिसूचना के दो माह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट उन विद्यालयों के अध्यापकों को पुनर्योजित करेगा, जहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना जारी होने के पूर्व अध्यापकों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक हो।

(2) जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के पूर्व स्वीकृत विनिर्दिष्ट शिष्ट-अध्यापक अनुपात को बनाये रखने हेतु विद्यालय की स्वीकृत अध्यापक संख्या का पुनरीक्षण करेगा तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को पुनर्योजित करेगा।

(3) शिष्ट-अध्यापक अनुपात को बनाये रखने के उद्देश्य से किसी विद्यालय में पदस्थित कोई अध्यापक किसी अन्य विद्यालय अथवा कार्यालय अथवा किसी गैर शैक्षणिक उद्देश्य, जो दसकीय आवादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्य अथवा संसद, राज्य विधान मंडल या स्थानीय निकाय सम्बन्धी निर्वाचन कर्तव्यों से इतर हो, में सेवा हेतु नहीं लगाया जायेगा।

(4) यदि, कोई अध्यापक निजी अध्यापन अथवा प्राइवेट ट्यूशन में लिप्त पाया गया तो उस पर लागू सेवा नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भाग-सात

पाठ्यचर्चा और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण किया जाना

22—(1) धारा 29 के प्रयोजनार्थ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्चा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण करेगी।

(2) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यचर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्धारित करते समय निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी :—

(क) सुसंगत एवं आयु-संगत पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक और अन्य सीखने की सामग्री का प्रतिपादन;

(ख) सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण की रूपरेखा का विकास; और

(ग) सतत और व्यापक मूल्यांकन को व्यवहार में लाने हेतु दिशा-निर्देशों का तैयार किया जाना।

शैक्षणिक प्राधिकारी
(धारा-29)

(3) राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, आन्तरिक एवं बाह्य संगठनों के माध्यम से नियमित आधार पर समग्र रूप से विद्यालयीय गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया अभिकल्पित एवं क्रियान्वित करेगी।

(क) विद्यालयों के कार्य निष्पादन का स्वतन्त्र निर्धारण वर्ष में कम से कम एक बार विभागीय निर्धारण के माध्यम से और प्रत्येक दो वर्ष में अनिवार्य रूप से बाह्य अभिकरण द्वारा संचालित निर्धारण के माध्यम से किया जाएगा। वार्षिक स्वतन्त्र निर्धारण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उपयुक्त प्रश्न-बैंक निर्मित करेगा, जिसके आधार पर जनपदीय जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यादृच्छिक नमूना (ऐण्डम) आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड का आकलन करेगा। प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह के अन्तिम सप्ताह तक जिलावार विकास खण्डवार प्रतिवेदन जिला मजिस्ट्रेट और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) इस प्रयोजन हेतु बाह्य अभिकरण के रूप में, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग के संकाय, विभिन्न शोध संस्थानों, ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/बेसिक शिक्षा से सम्बद्ध गैर सरकारी संगठनों में से लिए जा सकेंगे। विस्तृत निर्देश-निबन्धन निर्धारित किये जायें और निर्धारण कार्य सौंपें जाने के छः माह के भीतर बाह्य अभिकरण द्वारा परिणाम प्रस्तुत किए जायें। प्रतिवेदन, राज्य स्तरीय विद्यालय एवं विद्या निर्धारण प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

द्विवर्षीय बाह्य निर्धारण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, मानदण्ड निम्नवत् होंगे:

- छात्रों की विद्या प्राप्ति स्तर;
- कक्षा अध्यापन में पाठ्य पुस्तकों, अध्यापक संदर्शिका एवं अध्यापन विद्यार्जन सामग्री की उपलब्धता और उपयोग;
- छात्रों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्य का अवसर;
- लेखन कार्य का अध्यापकों द्वारा नियमित शुद्धिकरण;
- अध्यापकों की विद्यालय में उपस्थिति की समयबद्धता एवं अध्यापन विद्यार्जन सम्पन्न कराने में नियमितता;
- नियमित आधार पर छात्रों के कार्य सम्पादन पर माता-पिता के साथ चर्चा;
- अध्यापकों की अध्यापन एवं कक्षा संचालन क्षमता का सम्प्रेक्षण;
- वार्षिक पाठ्यचर्या का प्रतिशत आच्छादन।

रिपोर्ट के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालय निर्धारण के परिणाम जिलावार अवरोही क्रम में राज्य सरकार, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एवं सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को, अनुवर्ती सुसंगत कार्यवाही हेतु, प्रस्तुत किए जायेंगे और निर्धारण के विकास खण्डवार परिणाम, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपचारात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

23-(1) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाणपत्र विद्यालय स्तर से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के एक माह के अन्दर शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा विहित प्रपत्र पर निर्गत किया जायेगा:

परन्तु निजी संस्थाओं द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाणपत्र पर आवंटित मान्यता पंजीकरण संख्या भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा उल्लिखित की जायेगी।

प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाणपत्र प्रदान करना
(धारा-30)

(2) उपनियम (1) में सन्दर्भित प्रमाणपत्र द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि बालक ने धारा 29 के अधीन विहित अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है।

(3) प्रमाणपत्र में बालक का शिष्य संचयी अभिलेख शामिल होगा, साथ ही विहित पाठ्यक्रम अध्ययन के अतिरिक्त बालक के अन्य क्षेत्रों के क्रिया कलापों में उपलब्धियाँ यथा संगीत, नृत्य, साहित्य, क्रीड़ा आदि भी विनिर्दिष्ट होंगी।

भाग—आठ

बाल अधिकार का संरक्षण

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
द्वारा कृत्यों का निर्वहन
(धारा—31)

24—(1) ऐसे समय तक जब तक राज्य सरकार बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग का गठन करती है, तब तक अन्तरिम प्राधिकारी के रूप में शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(2) शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

(क) एक अध्यक्ष जो उच्च शैक्षणिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो अथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा जिसने बाल अधिकारों के उन्नयन हेतु उत्कृष्ट कार्य किया हो; और

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में विष्यात, योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित तथा अनुभवी व्यक्तियों में से दो सदस्य, जिनमें एक महिला होगी—

(एक) शिक्षा;

(दो) बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल विकास;

(तीन) किशोर न्याय अथवा उपेक्षित या साधनहीन अथवा निःशक्तताग्रस्त बालकों की देखभाल;

(चार) बालश्रम उन्मूलन अथवा विपन्न बच्चों के साथ कार्य;

(पाँच) बाल मनोविज्ञान अथवा समाज शास्त्र, या

(छ.) शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक प्रबन्धन।

(3) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2006 के निबन्धन और शर्ते उसी रूप में शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) पर भी लागू होंगे।

(4) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन के तत्काल बाद शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) के सभी अभिलेख और परिसम्पत्तियाँ उक्त आयोग को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

(5) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) अपने कृत्यों के निष्पादन में राज्य सलाहकार परिषद् द्वारा उसे सन्दर्भित प्रकरणों पर भी कार्यवाही कर सकते हैं।

(6) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथा स्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) में राज्य सरकार एक प्रकोष्ठ का गठन करेगी, जो आयोग अथवा शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में सहायता कर सकेगा।

25—(1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अथवा यथास्थिति शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (आर0ई0पी0ए0) द्वारा पत्र/दूरभाष/एस0एम0एस0 के माध्यम युक्त सर्वसुलभ बाल हेल्प लाइन स्थापित की जायेगी तथा जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के उल्लंघन के सम्बन्ध में पीड़ित बालक अथवा संरक्षक की शिकायत दर्ज करने के लिए मंच के रूप इस रीति से कार्य करेगी कि उसकी पहचान अभिलिखित की जायेगी, किन्तु उसे प्रकट नहीं किया जायेगा।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की रीति
(धारा—31)

(2) प्रारम्भिक रूप से कोई शिकायत ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति को उसके सदस्य सचिव के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति के विनियोग के पश्चात् अपील, यथार्थिति विकास खण्ड स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को की जा सकती है। द्वितीय अपील उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा-10 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए जिला पंचायत को और धारा 10-के अधीन नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के लिए नगरपालिका को की जा सकती है।

समस्त शिकायतों का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा ऑनलाइन क्रियाविधि के आधार पर पारदर्शी और तत्परतापूर्ण कार्यवाही के माध्यम से किया जायेगा।

26-(1) राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इस नियमावली में आगे परिषद् कहा जायेगा) में एक अध्यक्ष एवं 14 सदस्य समिलित होंगे;

(2) राज्य सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री, परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे;

(3) प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल विकास का ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति निम्नवत् की जायेगी :—

(क) कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं अल्प संख्यक वर्ग में से एक—एक होंगे;

(ख) कम से कम एक सदस्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(ग) एक सदस्य पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(घ) एक सदस्य अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(ड) एक सदस्य विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी ख्यातिप्राप्त, गैर सरकारी संगठन में से होगा;

(च) सचिव, बेसिक शिक्षा, परिषद् का सदस्य संयोजक होगा एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण तथा राज्य परियोजना, निदेशक, उठप्रो सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, परिषद् के पदेन सदस्य होंगे;

परन्तु पदेन सदस्यों से मिन्न पचास प्रतिशत सदस्य महिलाओं में से होंगे।

(4) परिषद् यथा अपेक्षित अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

(5) बेसिक शिक्षा विभाग, परिषद् की बैठकों एवं इसके अन्य कृत्यों के लिए युक्ति-युक्त सहयोग उपलब्ध करायेगा।

(6) राज्य सलाहकार परिषद् अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावशाली अनुपालन के लिए राज्य सरकार को सलाह देगी।

आज्ञा से,
अनिल संत,
सचिव,
बेसिक शिक्षा।

परिशिष्ट

प्रपत्र-1

[(नियम-11 का उपनियम (1) देखें)]

विद्यालय को मान्यता देने के लिए आवेदन सहित स्वघोषणा
उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,

(जिला का नाम एवं राज्य)

महोदय,

मैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में एक स्वघोषणा करता हूँ और (विद्यालय का नाम और पता) हेतु शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से मान्यता की स्वीकृति के लिए विहित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

संलग्नक :

स्थान :

दिनांक :

भवदीय,

प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धक

(क) विद्यालय का विवरण

1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	डाक पता	
5.	ग्राम/शहर	
6.	ब्लाक एवं तहसील	
7.	पिन कोड	
8.	एस0टी0डी0 कोड के साथ फोन नम्बर	
9.	फैक्स नम्बर	
10.	ई-मेल पता, यदि कोई है	
11.	निकटतम पुलिस स्टेशन	

(ख) सामान्य जानकारी

1.	स्थापना का वर्ष	
2.	विद्यालय के प्रथम खुलने का दिनांक	
3.	न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति का नाम	
4.	क्या न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति पंजीकृत है?	
5.	न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति के पंजीकरण की वैधता की अवधि (साक्ष्यों के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न किया जाये)	

6.	प्रतियुक्त हलफनार्मे पर पते सहित सदस्यों की सूची के साथ न्यास/समिति/प्रबन्ध समिति का गैर सांपत्तिक चरित्र का प्रमाण।			
7.	विद्यालय के अध्यक्ष/प्रधान/प्रबन्धक का नाम, कार्यालय पता			
	नाम			
	पदनाम			
	पता			
	फोन	कार्यालय..... आवास..... मोबाइल नं.....		
8	पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल आय एवं व्यय अधिशेष/घाटा (लेखों को चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा लेखा संपरीक्षित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिये और समुचित लेखा-विवरण संलग्न किये जायें)			
	वर्ष	आय	व्यय	अधिशेष/घाटा

(ग) विद्यालय की प्रकृति और क्षेत्र

1.	शिक्षा का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश और निकास कक्षायें विनिर्दिष्ट कीजिए) (क) लड़के/लड़कियाँ/सह-शिक्षा (ख) सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (ग) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक	
3.	यदि सहायता प्राप्त है, तो अभिकरण का नाम और सहायता की प्रतिशतता।	
4.	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है ?	
5.	यदि हाँ है तो किस प्राधिकारी द्वारा ? मान्यता संख्या.....	
6.	क्या विद्यालय के पास उसका अपना भवन है या क्या वह किराये के भवन में चल रहा है ? (साक्षों के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न किया जाये)	
7.	क्या विद्यालय भवनों या अन्य निर्मित संरचनाओं या मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा एवं प्रवीणता सम्बन्धित विकास के प्रयोजनार्थ किया जाता है ?	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र (भवन योजना के साथ)	

(घ) नामांकन का स्तर

	कक्षा	अनुभागों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1.	पूर्व प्राथमिक		
2.	एक से पाँच		
3.	छ: से आठ		

(ङ) आधार मूत संरचनाओं का विवरण एवं स्वच्छता सम्बन्धी दशाये

	कक्ष	संख्याएं	औसत आकार
1.	कक्ष		
2.	कार्यालय कक्ष—सह—भंडारण कक्ष—सह—प्रधानाध्यापक कक्ष		
3	रसोई—सह—भंडारण		

(च) अन्य सुविधाएं

1.	क्या समस्त सुविधाओं तक बाधारहित पहुँच है ?	
2.	शिक्षण—अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	क्रीड़ा और खेल उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा	
	➤ पुस्तकों (पुस्तकों की संख्या) (सूची संलग्न करें)	
	➤ सामायिक/समाचारपत्र	
5.	पेयजल की सुविधा के प्रकार एवं संख्या	
6.	स्वच्छता सम्बन्धी दशायें (एक) मूत्रालयों और डब्ल्यूसी० के प्रकार (दो) बालकों के लिए अलग से शौचालयों/मूत्रालयों की संख्या (तीन) बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों/मूत्रालयों की संख्या	

(छ) शिक्षण कर्मियों का विवरण

1. अनन्य रूप से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण। (प्रत्येक अध्यापक का पृथक से विवरण)		
अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
शैक्षणिक अर्हता (विषय के साथ) (4)	व्यावसायिक अर्हता (5)	शिक्षण अनुभव (6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2. प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तर पर शिक्षणरत। (प्रत्येक अध्यापक का पृथक से विवरण)		
अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)

शैक्षणिक अर्हता (विषय के साथ) (4)	व्यावसायिक अर्हता (5)	शिक्षण अनुभव (6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

3. प्रधान अध्यापक

अध्यापक का नाम (1)	पिता का नाम (2)	जन्मतिथि (3)
शैक्षणिक अर्हता (विषय के साथ) (4)	व्यावसायिक अर्हता (5)	शिक्षण अनुभव (6)
समुनिदेशित कक्षा (7)	नियुक्ति का दिनांक (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

(ज) पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण

1.	प्रत्येक कक्षा में अपनाये गये पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण का विवरण (कक्षा 8 तक)	
2.	छात्र-मूल्यांकन की प्रणाली	
3.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?	

(झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षां सूचना प्रणाली के आंकड़ा प्रग्रहण प्रारूप में सूचना भी प्रस्तुत की है।

(ज) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण, हेतु उपलब्ध है;

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित रिपोर्ट और सूचना प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है और वह जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये या विद्यालय की कार्यप्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें;

(ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विद्यालय के अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी अथवा शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे और विद्यालय ऐसी समस्त सूचनाओं को प्रस्तुत करेगा जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अथवा प्रशासन यथास्थिति संसद/राज्य की विधान सभा/पंचायत/नगर निगम के प्रति उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए निमित्त आवश्यक हों।

४०

स्थान:

अध्यक्ष/प्रबन्धक
'प्रबन्ध समिति
.....विद्यालय

प्रपत्र-2

[(नियम- ॥ का उपनियम (4) देखें)]

ग्राम:

फोन:

ई-मेल :

फैक्स:

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(जिला/राज्य का नाम)

संख्या:

दिनांक:

प्रबन्धक,

विशय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम- ॥ के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक.....और इस सम्बन्ध में विद्यालय से पश्चावर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ में मैं.....(पता सहित विद्यालय का नाम) को कक्षा.....से.....कक्षा.....तक हेतु दिनांक.....से दिनांकतक तीन बर्षों की अवधि के लिए औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ :-

- मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के % तक पास-पंडोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा; परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
- प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
- समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा –
 - (क) बालक का आयु-प्रमाण न होने पर;
 - (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:
 - (एक) किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;
 - (दो) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा;
 - (तीन) किसी भी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है;
 - (चार) प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाणपत्र वितरित किया जायेगा;
 - (पाँच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन;
 - (छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और
 - (सात) अध्यापक निजी अध्यापन क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या-21 सन, 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह, या व्यष्टि संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या.....है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धृत करने का कष्ट करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्तें।

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2510/LXXIX-5-2011-29-09 dated July 27, 2011 :

No. 2510/LXXIX-5-2011-29-09

Dated Lucknow, July 27, 2011

IN exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Act no. 35 of 2009) and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for the purpose of implementation of the provisions of the aforesaid Act.

THE UTTAR PRADESH RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION RULES, 2011

PART I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the **Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011**.
- (2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
- (3) They shall come into force at once and shall remain in force subject to the condition that adequate funds will continually made available by the Central Government.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;
 - (b) "anganwadi" means an Anganwadi Centre established under the Integrated Child Development Services Scheme of the Ministry of Women and Child Development of the Government of India;
 - (c) "appointed date" means the date of commencement of the Act i.e. April 1, 2010;
 - (d) "Chapter", "section" and "Schedule" means respectively Chapter, section of, and Schedule to, the Act;
 - (e) "form" means a form given in the Appendix to these rules;
 - (f) "neighbourhood" means a population area specified in rule 4;
 - (g) "pupil cumulative record" means record of the progress of the child based on comprehensive and continuous evaluation;
 - (h) "school mapping" means planning school location to overcome social barriers and geographical distance;
 - (i) "specified norms" means the norms and standards specified in the Schedule to the Act;
 - (j) "Zila Shiksha Adhikari" means a District Level Officer in Department of Basic Education or Department of Secondary Education, as the case may be.
- (2) Words and expressions used in these rules not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

PART II**RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION**

3. (1) The School Management Committee/ local authority shall within the area of jurisdiction thereof, identify never enrolled or school dropout children above the age of 6 years, get them admitted in a class appropriate to their age in their neighbourhood school, assess their learning level and accordingly organize special training for them as required in the following manner, namely: Special Training (section-4)

- (a) the special training shall be based on specially designed, age appropriate learning material, approved by the State Council for Educational Research and Training;
- (b) it shall be provided in classes held on the premises of the school, or through classes organized in safe residential facilities;
- (c) it shall be provided by teachers working in the school, or by persons specially appointed for the purpose;
- (d) the duration of special training shall be for a minimum period of three months which may be extended, based on periodical assessment of learning progress, for a maximum period not exceeding two years.

(2) The child shall, upon induction into the age appropriate class, after special training, continue to receive special attention by the teacher to enable him/her to successfully integrate with the rest of the class, academically and emotionally.

PART III**DUTIES OF THE STATE GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITY**

4. (1) The area or limit of neighbourhood within which a school has to be established by the Committee authorized by the State Government, shall be as under- Areas or limits of neighbourhood (section-6)

- (a) in respect of children in classes I-V, a school shall be established in habitation which has no school within a distance of 1.0 Km. and has population of at least 300;
- (b) in respect of children in classes VI-VIII, a school shall be established in habitation which has no school within a distance of 3.0 km. and has population of at least 800.

Explanation: For the purposes of this rule the expression "Committee authorized by the State Government" shall mean the Committee established under section 10 or section 10-A, as the case may be, of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

- (2) For children from such areas where it is not possible to provide school within the radius of neighbourhood specified under sub-rule (1), the State Government shall make adequate arrangements, such as free transportation, residential facilities etc. in relaxation of the provisions specified under sub-rule (1).
- (3) The local authority *i.e.* Gram Panchayat/Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat as the case may be shall identify a neighbourhood school where children can be admitted and make such information public for each habitation within its jurisdiction.
- (4) In respect of children with disability, which prevent them from accessing the school, the local authority with the prior approval of the Zila Shiksha Adhikari, shall endeavour to make appropriate and safe transportation arrangements for them to attend school and complete elementary education.

Duties of State Government and local authority (section 8 and 9)

(3) The local authority shall ensure that access of children to the school is not hindered on account of social and cultural factors.

5. (1) A child attending a school of the State Government or local authority referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2 of the Act a child attending a school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 of the Act in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act and a child attending a school referred to in sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 of the Act in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Act shall be entitled to free textbooks each year and uniform once in each year:

Provided that a child with disability shall also be provided free special learning, support material and equipments.

Explanation: In respect of the child admitted in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 12 and a child admitted in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 12, the responsibility of providing the free entitlement shall be of the school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and of sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2, respectively.

(2) For the purposes of determining and establishing neighbourhood schools, the local authority (Gram Panchayat/Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat, as the case may be) shall undertake school mapping, and identify all children, including children in remote areas, children with disability, children belonging to disadvantaged group, children belonging to weaker section and children referred to in section 4, latest by 31st March, and every year.

(3) The local authority shall be responsible to ensure that no child is subjected to caste, class, religious or gender abuse or discrimination in the school.

(4) The local authority shall ensure that a child belonging to a weaker section and a child belonging to disadvantaged group is not segregated or discriminated against in the classroom, during mid day meals, in the play grounds, in the use of common drinking water and toilet facilities, and in the cleaning of toilets or classrooms.

Maintenance of records of children by local authority [section 9 (d)]

6. (1) The local authority (Gram Panchayat/Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat, as the case may be) shall maintain a record of all children, in its jurisdiction, through a survey, from their birth till they attain 14 years of age.

(2) A unique identity number shall be allotted to each child by the Zila Shiksha Adhikari to ensure and monitor enrolment, attendance, learning achievement and completion of elementary education of every child.

(3) The record referred to in sub-rule (1), shall be -

(a) updated annually;

(b) maintained transparently, in the public domain, and used for the purposes of ensuring and monitoring admission, attendance and completion of elementary education by every child residing within its jurisdiction.

(4) The record, referred to in sub-rule (1) shall, in respect of every child, be maintained on the prescribed format including the following details:-

(a) name, sex, date of birth, place of birth;

(b) parents' or guardians' name, address, occupation;

(c) pre-primary school/Vaganwadi centre where the child attends (up to the age of 5 years);

- (d) elementary school where child is admitted;
- (e) present address of the child;
- (f) class in which the child is studying;
- (g) for children between age of 6-14 years, if education is discontinued in the territorial jurisdiction of the local authority, the cause of such discontinuance;
- (h) whether the child belongs to the weaker section within the meaning of clause (e) of section 2 of the Act;
- (i) whether the child belongs to a disadvantaged group within the meaning of clause (d) of section 2 of the Act;
- (j) details of children requiring special facilities or residential facilities on account of migration and sparse population, age appropriate admission and disability.

(5) The local authority shall ensure that the names of all children enrolled in the schools under its jurisdiction are publicly displayed in each school.

(6) The Zila Shiksha Adhikari shall ensure that the information referred to in sub-rule (4) is displayed and updated on the district website.

PART IV

RESPONSIBILITIES OF SCHOOLS AND TEACHERS

7. (1) The schools referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) to section 12 (1) shall not be segregated from the other children in the classrooms nor shall their classes be held at places and timings different from the classes held for the other children.

(2) The schools referred to in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 shall ensure that children admitted in pursuance of clause (c) to section 12 (1) shall not be discriminated from the rest of the children in any manner pertaining to entitlements and facilities such as textbooks, library and Information, Communication and Technology (ICT) facilities, extra-curricular activities and sports.

(3) The areas or limits of neighbourhood specified in rule 4 (1) shall apply to admissions made in pursuance of clause (c) to section 12 (1):

Provided that the school may, for the purposes of filling up the requisite percentage of seats for children referred to in clause (c) to section 12 (1), extend these limits with the prior approval of the State Government.

(4) The local authority (Gram Panchayat/Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat, as the case may be) shall maintain a name-wise list and record of all children belonging to weaker section and disadvantaged group, studying in private and specified category schools under its jurisdiction.

8. (1) The process of admission of children referred to in clauses (b) and (c) of section 12 (1) shall be totally transparent. The detail of such children applying for admission shall be maintained by the school regularly, which shall include the name, address, sex, caste, date of birth of the child and the name, address, occupation and monthly income of father/mother/guardian, detail of whether child belongs to weaker section or disadvantaged group. Such information shall be made public through website. Out of the total applicants, all the children who applied for admission, but not admitted for whatsoever reason, shall be informed in writing with the reason thereof. It shall also be binding for the school to follow the process of admission prescribed by the State Government from time to time.

Admission of children belonging to weaker section and disadvantaged group
[(section 12 (1) (c))]

Admission of children and reimbursement of per-child expenditure by the State Government
[(section 12 (1) (b) and (c) and section 12 (2))]

(2) The total annual recurring expenditure incurred by the State Government, from its own funds, and funds provided by the Central Government and by any other authority on elementary education in respect of all schools established, owned or controlled by it or by the local authority, divided by the total number of children enrolled in all such schools as on 30th September, shall be the per-child expenditure incurred by the State Government.

Explanation :- For the purpose of determining the per-child expenditure, the expenditure incurred by the State Government or local authority on schools referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 and the children enrolled in such schools shall not be included.

(3) Every school referred to in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 shall maintain a separate bank account in respect of the amount received by it as reimbursement under sub-section (2) of section 12.

(4) Every school referred to in sub-rule (3) seeking reimbursement, shall provide the list of children, with their unique identity number and details of item-wise expenditure incurred by the school with all requisite details along with evidence on the form prescribed by the Director of Education (Basic) by 31st October of every year:

Provided that where such schools are already under obligation to provide free education to a specified number of children on account of it having received any land, building equipment or other facilities either free of cost or at a concessional rate, such schools shall not be entitled for reimbursement to the extent of such obligation.

(5) The Zila Shiksha Adhikari after necessary verification will transfer the amount of reimbursement due in the account referred to in sub-rule (3) and shall make the information public through website.

(6) If at any stage, the school is found having sought and received reimbursement on the basis of concealment of facts or wrong claim, it will have to deposit twice the amount so received, in the Government exchequer with action for withdrawal of recognition of the school and proceeding under the relevant sections of Indian penal code, and the amount shall be recoverable by the Collector as arrears of land revenue.

Documents as age proof
(section 14)

9. Wherever a birth certificate under the Births, Deaths and Marriages Certification Act, 1886 is not available, any one of the following documents shall be deemed to be proof of age of the child for the purposes of admission in schools—

- (a) hospital or Auxiliary Nurse and Midwife (ANM) register record;
- (b) anganwadi record;
- (c) village register of birth and death;
- (d) declaration through an affidavit of the age of the child by the parent or guardian.

Extended period for admission in school
(section 15)

10. (1) Extended period of admission shall be three months from the date of commencement of the academic year of a school i.e. 30th September after the commencement of the session.

(2) Where a child is admitted in a school after the extended period, he or she shall be eligible to complete studies with the help of special training, as determined by the head of the school.

11. (1) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government or local authority, established before the commencement of the Act shall make a self declaration in Form-I to the concerned Zila Shiksha Adhikari, who shall be the authorized officer, regarding its compliance or otherwise with the norms and standards specified in the Schedule and fulfillment of the following conditions, namely:-

Recognition to
school
(section 18)

- (a) the school is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a public trust constituted under any law for the time being in force;
- (b) the school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons;
- (c) the school conforms to the values enshrined in the Constitution;
- (d) the school building or structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development;
- (e) the school is open to inspection by any officer authorized by the State Government or local authority;
- (f) the school furnishes such reports and information as may be required by the Zila Shiksha Adhikari/ Director of Education or any other authorized officer from time to time and complies with such instructions of the State Government/ local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

(2) Every self declaration received in Form-I shall be placed by the Zila Shiksha Adhikari in public domain through website within fifteen days of its receipt.

(3) The Zila Shiksha Adhikari shall conduct on-site inspection of such schools which claim in Form-I to fulfill the norms, standards and the conditions mentioned in sub-rule (1) within three months of the receipt of the self declaration.

(4) After the inspection referred to in sub-rule (3) is carried out, the inspection report shall be placed by the Zila Shiksha Adhikari in public domain and schools found to be conforming to the norms, standards and the conditions shall be granted recognition by the Zila Shiksha Adhikari in Form-II, within a period of 60 days from the date of inspection.

(5) The list of schools which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) shall be prepared and made public by the Zila Shiksha Adhikari through a notification mentioning the deficiencies and shall be displayed on website. Such schools may request the Zila Shiksha Adhikari for an on-site inspection for grant of recognition anytime within the next two years.

(6) Schools, which do not conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) even after three years from the commencement of the Act, shall cease to function.

(7) Every school, other than a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government or local authority, established after the commencement of the Act shall conform to the norms, standards and conditions mentioned in sub-rule (1) in order to qualify for recognition.

(8) Every Zila Shiksha Adhikari shall maintain a register of recognized schools and allot a number to every such school.

Withdrawal
of recognition to
school
[(section 18 (3))]

12. (1) Where the Zila Shiksha Adhikari on his own motion, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognized under rule 11, has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfill the norms and standards specified in the Schedule, he shall act in the following manner:-

(a) issue a notice to the school specifying the violations of the condition of grant of recognition and seek its explanation within one month;

(b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the Zila Shiksha Adhikari shall cause an inspection of the school, to be conducted by a Committee of three members comprising of Government representatives and one educationist. The Committee shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal, within a period of 20 days of such inspection to the Zila Shiksha Adhikari. The Committee referred to above shall be constituted by the District Magistrate and the District Magistrate shall have power to change the members of the Committee.

(2) The Zila Shiksha Adhikari, on the basis of the recommendations of the Committee shall send letter within 10 days seeking explanation from the concerned school and give 30 days time for submitting the explanation and after due examination of the explanation received or in case the explanation is not received then on the basis of records/documents, send his recommendations to the State Education Department within a period of one month thereafter:

Provided that the District Magistrate shall have the authority to get the recommendation of the Committee to be re-examined before its submission to the State Education Department.

(3) The State Education Department, shall, on the basis of the recommendations referred to in sub-rule (2), take decision within 30 days of the receipt of the recommendations and convey it to the Zila Shiksha Adhikari.

(4) The Zila Shiksha Adhikari shall, on the basis of the decision of the State Education Department, pass a speaking order canceling the recognition granted to the school within 07 days from the receipt of the decision. The order of de-recognition shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of the de-recognized schools shall be admitted.

(5) The order made under sub-rule (4) shall be conveyed to the respective local authority and shall be placed in the public domain through display on website.

PART V

SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

Composition and
functions of the
School
Management
Committee
(section 21)

13. (1) A School Management Committee shall be constituted in every school, other than an unaided school, within its jurisdiction and reconstituted within every two years.

(2) The School Management Committee shall consist of 15 members out of which 11 shall be from amongst parents or guardians of children:

Provided that 50 percent of members of such Committee shall be women.

(3) The remaining 04 members of the School Management Committee shall be from amongst the following persons, namely :-

- (a) one member from amongst the elected members of the local authority, to be decided by the local authority;
- (b) one member from amongst Auxiliary Nurse and Midwife (ANM), to be decided by the teachers of the school;
- (c) one Lekhpal, to be nominated by the District Magistrate;
- (d) one member shall be the head teacher or in the absence of head teacher the senior most teacher of the school, who shall be the *ex-officio* member-secretary.

(4) The guardian members of the School Management Committee shall include the parent/guardian of one child each belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes and weaker section.

(5) The selection of guardian members of the School Management Committee shall be made through general consensus in the open meeting:

Provided that the Committee shall include parent/guardian of minimum one child from each class of the school.

(6) To manage its affairs, the School Management Committee shall elect a Chairperson and Vice-Chairperson from amongst the parent members.

(7) The School Management Committee shall meet at least once a month and the minutes and decision of the meetings shall be properly recorded and made available to the public.

(8) The School Management Committee shall, monitor the working of the school; prepare and recommend School Development Plan; monitor the utilization of the grants received from the State Government or local authority or other source, and in addition, perform the following functions, for which it may constitute smaller working groups from amongst its members:-

- (a) communicate in simple and creative ways to the population in the neighbourhood of the school, the right of the child as enunciated in the Act; as also the duties of the State Government, local authority, school, parent and guardian;
- (b) ensure for proper implementation of clauses (a) and (e) of section 24 and section 28 that teachers of the school maintain regularity and punctuality in attending school, hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the continued attendance, ability to learn, progress made in learning and any other relevant information about the child and no teacher is engaged in private tuition or private teaching;
- (c) monitor for the implementation of section 27 that teachers are not burdened with non academic duties other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority or the State Legislatures or Parliament, as the case may be;
- (d) ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the neighbourhood in the school;
- (e) monitor the maintenance of the norms and standards specified in the Schedule;
- (f) bring to the notice of the local authorities any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per section 3 (2);

Preparation of
School
Development Plan
(section 22)

Minimum
qualification of
teachers
[section 23 (1)]

(g) where a child above six years of age has not been admitted in any school, for his/her age appropriate learning level, identify the need, prepare a plan, and monitor the implementation of the special training;

(h) monitor the identification and enrolment of, and facilities for education of children with disability, and ensure their participation in, and completion of elementary education;

(i) monitor the implementation of the Mid-Day Meal programme in the school and ensure its enrichment;

(j) monitor the receipts and expenditure of the school.

(9) Any money received by the School Management Committee for the discharge of its functions under the Act, shall be kept in a separate account, to be made available for audit every year.

(10) The accounts referred to in sub-rule (9) shall be signed by the Chairperson/Vice-Chairperson and member-secretary of the School Management Committee and made available to the authorities concerned within one month of their preparation.

14. (1) The School Management Committee shall prepare a School Development Plan at least three months before the end of the financial year.

(2) The School Development Plan shall be a three years plan comprising three annual sub plans.

(3) The School Development Plan, shall contain the following details-

(a) estimates of class-wise enrolment for each year;

(b) requirement, over the three year period, of the number of additional teachers, including head teachers, subject teachers and part-time instructors, separately for classes I to V and classes VI to VIII, calculated, as per specified norms;

(c) physical requirement of additional infrastructure and equipments etc. over the three years period, as per specified norms;

(d) additional financial requirement over the three years period, year-wise, in respect of clauses (b) and (c), including additional requirement of free textbooks for children and for providing special training facility to children admitted in age appropriate class and any other additional financial requirement for fulfilling the responsibilities of the school under the Act.

(4) The School Development Plan shall be signed by the Chairperson or the Vice-Chairperson and member-secretary of the School Management Committee and submitted to the authorities concerned before the end of the financial year in which it is to be prepared.

PART VI

TEACHERS

15. The minimum educational qualifications for teachers, laid down by an authority, authorized by the Central Government, by notification, shall be applicable for every school referred to in clause (n) section 2.

16. (1) The State Government shall estimate the teacher requirement as per the norms in the Schedule for all schools referred to in clause (n) of section 2 within the State.

(2) If teachers possessing prescribed minimum qualifications are not available as estimated under sub-rule (1), then the State Government shall request the Central Government by 31st March, , for relaxation of the prescribed minimum qualification.

(3) The State Government shall take necessary action after the notification issued by the Central Government, for relaxation in the minimum qualification on the request under sub-rule (2).

(4) The relaxation from minimum qualifications shall be for maximum period of five years from the commencement of the Act, i.e. till 31st March, 2015, within such period the teachers appointed under the relaxed condition shall acquire the minimum educational qualifications prescribed under rule 15.

(5) No appointment of teacher for any school can be made in respect of any person not possessing the minimum educational qualifications prescribed under rule 15, without the notification referred to in sub-rule (3).

17. (1) The State Government shall make a request to the academic authority notified by the Central Government for enhancement of capacity of teacher education and for providing required facilities for distant mode teacher training to ensure that all teachers in schools established, owned or controlled by the State Government or a local authority or specified schools, who do not possess the minimum qualifications laid down under rule 15 at the time of commencement of the Act, acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act. The State Government shall after obtaining the approval as per requirement provide for training of all such teachers.

(2) The management of aided or unaided schools shall enable such teachers, who do not possess the minimum qualifications laid down under rule 15 at the time of commencement of the Act, to acquire the same within a period of five years from the commencement of the Act.

18. The salary, allowances and service conditions of teachers of every type of school shall be governed by such service rules as are applicable to the teachers of that school.

19. (1) A teacher shall:-

(a) be accountable to respective local authority and School Management Committee in regard to maintain regularity and punctuality in attending school, regular teaching, regular correction of the written work of the students and completion of entire curriculum within the specified time;

(b) monitor the regular attendance, learning ability and progress of every child in school thereof, share students' performance with parents on a regular basis;

(c) cooperate in managing the affairs of School Management Committee, when required;

(d) help the local authority for admission of all children in school, as required, within the jurisdiction of local authority;

(e) shall maintain a file containing the pupil cumulative record for every child to check child's understanding of knowledge and his or her ability to apply the same and for continuous evaluation, and on the basis of which shall award the completion certificate.

Relaxation of minimum qualification

[section 23 (2)]

Acquiring of minimum qualifications
[proviso to section 23 (2)]Salary and allowances and conditions of service of teachers
[section 23 (3)]Duties to be performed by teachers
[section 24 (1) (f)]

(2) In addition to the duties mentioned in sub-rule (1) and the functions specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) of section 24, a teacher shall perform the following duties assigned to him or her:-

- (a) participation in training programmes;
- (b) participation in curriculum formulation, and development of syllabi, training modules and textbook development;
- (c) cooperate in internal and external school assessment initiatives.

(3) The appointing authority of teachers shall incorporate duties mentioned in section 24 (1) of the Act and responsibility as laid down in Rules 19 (1) and (2) above, in the service rules of the teachers as conditions of service. The service rules shall also provide for consideration of outcomes of internal and external school assessments as conducted under rule 22 (3a) and (3b) in deciding rewards and punishments as well as career growth of teachers.

Grievance Redressal mechanism for teachers [section- 24 (3)]

Maintaining of Pupil-Teacher Ratio in each school (section-25)

20. The first grievance redressal of teachers shall be at the School Management Committee level constituted under section 21 and thereafter at the local authority level.

21. (1) The sanctioned strength of teachers in every school shall be notified by the District Magistrate of the respective district. Such notification shall be displayed on the district website; the sanctioned strength of teachers in a school shall be informed to the respective school and local authority:

Provided that the District Magistrate, shall, within two months of such notification, redeploy teachers of schools having strength in excess of the sanctioned strength prior to the notification referred to in sub-rule (1).

(2) In order to maintain the specified pupil-teacher ratio, the District Magistrate shall review the sanctioned strength of teacher in every school every year before the month of July and redeploy the teachers as per requirement.

(3) For the purpose of maintaining the pupil-teacher ratio, no teacher posted in a school shall be made to serve in any other school or office or deployed for any non-educational purpose, other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority or the State Legislatures or Parliament.

(4) If any teacher found to be engaged in private tuition or private teaching, disciplinary action will be taken under the service rules applicable to him or her.

PART VII

CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION

Academic Authority (section -29)

22. (1) For the purpose of section 29 the State Council of Educational Research and Training shall lay down the curriculum and evaluation procedure for elementary education.

(2) The State Council of Educational Research and Training while laying down the curriculum and evaluation procedure, shall perform following functions:-

- (a) formulate the relevant and age appropriate syllabus and textbooks and other learning material;
- (b) develop in-service teacher training design; and
- (c) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation.

(3) The State Council of Educational Research and Training through internal and external organizations shall design and implement a process of holistic school quality assessment on a regular basis :—

- Performance of schools shall be assessed independently atleast once a year through a departmental assessment and mandatorily every two years through an assessment conducted by an external agency. For the annual independent assessment the State Council of Educational Research and Training shall constitute an appropriate question bank on the basis of which the District Institute of Education and Training shall conduct an assessment on a random sample basis for each block wise to the District Magistrate and Zila Basic Shiksha Adhikari by last week of December every year.
- External agency for the purpose could be, *inter alia*, drawn from amongst Faculty of Education Department of various Universities and Colleges, various Research Institutes, reputed National Level Organisations/Non-Government Organisation involved in Basic Education. Detailed terms of references be drawn and results be furnished within six months from the assignment of the assessment by the external agency. The report shall be published as a State Level School and Learning Assessment Report.

Parameters for the external biennial assessment will, *inter alia*, be as follows :—

- Students' learning achievement levels;
- Availability and use of textbooks, teacher guides and teaching learning materials in classroom teaching;
- Opportunity to students for individual and group work;
- Regular correction of the written work by the teachers;
- Teachers' punctuality in attending schools and regularity in conduct of teaching learning;
- Sharing of students' performance with parents on a regular basis;
- Observation of teachers ability to teach and conduct classroom;
- Percentage coverage of annual curriculum;

The report shall, *inter alia*, furnish the outcomes of the school assessment district wise in descending order to the State Government State Council of Educational Research and Training and Sarva Shiksha Abhiyan Programme, for relevant action thereafter and will furnish block wise outcomes of the assessment to the District Magistrate and Zila Basic Shiksha Adhikari for remedial action.

23. (1) The certificate of completion of elementary education shall be issued at the school level within one month of the completion of elementary education in the form prescribed by Director of Education (Basic):

Provided that the private institutions shall clearly mention the allotted recognition registration number on the certificate issued by them.

Award of
certificate for the
completion of
elementary
education
(section-30)

(2) The certificate referred to in sub-rule (1) shall certify that the child has completed all course of study prescribed under section 29.

(3) The certificate shall contain the pupil cumulative record of the child and also specify achievements of the child in areas of activities beyond the prescribed course of study and may include music, dance, literature, sports etc.

PART VIII

PROTECTION OF RIGHT OF CHILDREN

Performance of functions by the State Commission for Protection of Child Rights (section-31)

24.

(1) Till such time as the State Government sets up the State Commission for Protection of Child Rights, it shall constitute an interim authority known as the Right to Education Protection Authority (REPA).

(2) The Right to Education Protection Authority (REPA) shall consist of the following, namely :-

(a) a Chairperson who is a person of high academic répute or has been High Court Judge or has done outstanding work for promoting the right of children; and

(b) two members, of whom at least one shall be a woman, from the following areas, from amongst persons of eminence, ability, integrity standing and experience in-

(i) education;

(ii) child health care and child development;

(iii) juvenile justice or care of neglected or marginalized children or children with disability;

(iv) elimination of child labour or working with children in distress;

(v) child psychology or sociology; or

(vi) educational or administrative management.

(3) The National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006 shall so far as pertains to the terms and conditions, *mutatis mutandis* apply to the Right to Education Protection Authority (REPA).

(4) All records and assets of the Right to Education Protection Authority (REPA) shall be transferred to the State Commission for Protection of Child Rights immediately after its Constitution.

(5) In performance of its functions, the State Commission for Protection of Child Rights or the Right to Education Protection Authority (REPA), as the case may be, may also act upon matters referred to it by the State Advisory Council.

(6) The State Government shall constitute a Cell in the State Commission for Protection of Child Rights or the Right to Education Protection Authority (REPA) as the case may be, which may assist the Commission or the Right to Education Protection Authority (REPA) in performance of its functions under the Act.

Manner of furnishing complaints before the State Commission for Protection of Child Rights (section-31)

25.

(1) The State Commission for Protection of Child Rights, or the Right to Education Protection Authority (REPA) as the case may be, shall set up a child help line, accessible by letter/ telephone/SMS and which would act as the forum for aggrieved child or guardian to register complaint regarding violation of rights under the Act, in a manner that records his/her identity but does not disclose it.

(2) Initially a complaint shall be made to Village Education Committee/Ward Education Committee through its member-secretary. After decision of Village Education Committee/Ward Education Committee, appeal may be made to block level Assistant Basic Shiksha Adhikari/Nagar Shiksha Adhikari, as the case may be. Second appeal may be made to Zila Panchayat under section 10 for matters related to rural area and to Municipality under section 10-A for matters related to urban area of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

All complaints shall be monitored by Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad through transparent and prompt action on line mechanism.

26. (1) The State Advisory Council (hereinafter in this rule referred to as the Council) shall consist of a Chairperson and 14 members.

Constitution and
functions of the
State Advisory
Council
(section 34)

(2) The Minister of Basic Education Department in the State Government shall be the *ex-officio* Chairperson of the Council.

(3) Members of the Council, shall be appointed by the State Government from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child development, as under:-

(a) at least four members, shall be from amongst persons belonging to the Schedule Castes, the Schedule Tribes, other backward classes and Minorities; one from each category;

(b) at least one member shall be from amongst persons, having specialised knowledge and practical experience of education of children with special needs;

(c) one member shall be from amongst persons having specialised knowledge in the field of pre-primary education;

(d) one member shall be from amongst persons having specialised knowledge and practical experience in the field of teacher education;

(e) one member shall be from the representative of reputed Non Governmental organisations exclusively working in the field of elementary education;

(f) Secretary Basic Education shall be the convener member of the Council and the Director of Education (Basic), the Director of Education (Secondary), the Director, State Council of Educational Research and Training, the Director of Mid Day Meal Authority and the State Project Director, Uttar Pradesh Education For All Project Board shall be *ex-officio* members of the Council;

Provided that fifty percent of members, other than *ex-officio* members, shall be from amongst women.

(4) The Council may especially invite representatives of other related Ministries/Departments as required.

(5) The Department of Basic Education shall provide logistic support for meetings of the Council and its other functions.

(6) The State Advisory Council shall advise the State Government for effective compliance of the provisions of the Act.

By order,
ANIL SANT,
Sachiv
Basic Education.

APPENDIX

FORM-I

[See sub-rule (1) of Rule 11]

SELF DECLARATION CUM APPLICATION
FOR GRANT OF RECOGNITION OF SCHOOL

The Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011

To,

The Zila Shiksha Adhikari
(Name of District & State)

Sir,

I forward herewith with a self declaration regarding compliance with the norms and standards specified in the Schedule of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and an application in the prescribed proforma for the grant of recognition to _____-(Name of the school with address) with effect from the commencement of the school year 20-_____

Enclosure:

Place:

Date:

Yours faithfully,

Chairman of Managing
Committee/ Manager

A. School Details

1.	Name of School	
2.	Academic Session	
3.	District	
4.	Postal Address	
5.	Village/City	
6.	Block and Tehsil	
7.	Pin Code:	
8.	Phone No. with STD Code	
9.	Fax No.	
10.	E-mail address if any	
11.	Nearest Police Station	

B. General Information

1.	Year of Foundation		
2.	Date of First Opening of School		
3.	Name of Trust/Society/Managing Committee		
4.	Whether Trust/Society/Managing Committee is registered.		
5.	Period up to which Registration of Trust/Society/Managing Committee is valid. (relevant documents for evidence of proof to be enclosed)		
6.	Proof of non-proprietary character of the Trust/Society/Managing Committee supported by the list of members with their address on an affidavit in copy.		
7.	Name, official address of the Manager/President/Chairman of the School		
	Name		
	Designation		
	Address		
	Phone		(O)..... (R)..... (Mobile No.).....
8.	Total Income and Expenditure during last 3 years surplus/deficit (The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper account statements should be enclosed)		
	Year	Income	Expenditure
			Surplus/deficit

C. Nature and area of School

1.	Medium of Instruction		
2.	<u>Type of School (Specify entry & exit classes)</u>		
	(a) Boys/Girls/Co-ed. (b) Aided/Unaided (c) Primary/Upper primary		
3.	If aided, the name of agency and percentage of aid		
4.	If School Recognized		
5.	If so, by which authority Recognition number		
6.	Does the school has its own building or is it running in a rented building. (relevant documents for evidence of proof to be enclosed)		
7.	Whether the school buildings or other structures or the grounds are used only for the purposes of education and skill development?		

8.	Total area of the school	
9.	Built in area of the school (with building plan)	

D. Enrollment Status

	Class	No. of Sections	No. of Students
1.	Pre-primary		
2.	I-V		
3.	VI-VIII		

E. Infrastructure Details & Sanitary Conditions

	Room	Numbers	Average Size
1.	Classroom		
2.	Office room-cum-store Room-cum-Headmaster Room		
3.	Kitchen-Cum-Store		

F. Other Facilities

1.	Whether all facilities have barrier free access	
2.	Teaching Learning Material (attach list)	
3.	Sports & Play equipments (attach list)	
4.	Facility of books in Library ➤ Books (No. of books) (attach list) ➤ Periodical/Newspapers	
5.	Type and number of drinking water facility	
6.	Sanitary Conditions (i) Type of W.C. & Urinals (ii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Boys (iii) Number of Urinals/Lavatories Separately for Girls	

G. Particulars of Teaching Staff

1. Teaching in Primary/Upper Primary exclusively (details of each teacher separately)		
Teacher Name (1)	Father name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification (with subjects) (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

2. Teaching in Both Elementary and Secondary (details of each teacher separately)

Teacher Name (1)	Father name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification (with subjects) (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

3. Head Teacher

Teacher Name (1)	Father name (2)	Date of Birth (3)
Academic Qualification (with subjects) (4)	Professional Qualifications (5)	Teaching Experience (6)
Class Assigned (7)	Appointment Date (8)	Trained or Untrained (9)

H. Curriculum and Syllabus

1.	Details of curriculum & Syllabus followed in each class (up to VIII)	
2.	System of Pupil Assessment.	
3.	Whether pupils of the school are required to take any Board exam up to class VIII ?	

I. Certified that the school has also submitted information in this data capture format of District Information System of Education with this application.

J. Certified that the school is open to inspection by any officer authorized by the appropriate authority.

K. Certified that the school undertakes to furnish such reports and information as may be required by the Zila Shiksha Adhikari from time to time and complies with such instructions of the Zila Shiksha Adhikari as may be issued to, secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

L. Certified that records of the school pertinent to the implementation of this Act shall be open to inspection by any officer authorized by the Zila Shiksha Adhikari or the Director of Education or the State Government at any time, and the school shall furnish all such information as may be necessary to enable the State Government or the local authority or the administration to fulfill the obligations thereof to Parliament/Legislative Assembly of the state/Panchayat/Municipal Corporation as the case may be.

Place:

Sd./.....

Chairman/Manager,
Managing Committee
.....School

FORM-II
[See sub-rule (4) of Rule 11]

Gram:

Phone:

E-Mail:

Fax:

OFFICE OF THE ZILA SHIKSHA ADHIKARI
(Name of District/State)

No.

Dated:

The Manager,

Sub: Recognition Certificate for the School under sub-rule (4) of rule 11 of The Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the purpose of Section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your application dated.....and subsequent correspondence with the school/inspection in this regard, I convey the grant for provisional recognition to the.....(name of the school with address) for Class.....to Class.....for a period of three years *w.e.f.*to.....

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The grant for recognition is not extendable and does not in any way imply any obligation to recognize/affiliate beyond Class VIII.
2. The School shall abide by the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Annexure I) and the Uttar Pradesh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 (Annexure II).
3. The School shall admit in class I, to the extent of% of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood and provide free and compulsory elementary education till its completion. Provided, further that in case of pre primary classes also, this norm shall be followed.
4. For the children referred to in paragraph 3, the School, if covered under section 12(2) of the Act, shall be reimbursed accordingly. To receive such reimbursements school shall provide a separate bank account.
5. The Society/School shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure.
6. The School shall not deny admission
 - (a) to any child for lack of age proof;
 - (b) on the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
7. The School shall ensure that,
 - (i) no child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school;

- (ii) no child shall be subjected to physical punishment or mental harassment;
- (iii) no child is required to pass any board examination till the completion of elementary education;
- (iv) every child completing elementary education shall be awarded a certificate as laid down under Rule 23;
- (v) inclusion of Students with disabilities/special needs as per provision of the Act;
- (vi) the teacher performs its duties specified under section 24 (1) of the Act; and
- (vii) the teachers shall not engage himself or herself for private teaching activities.

8. The School shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by the appropriate authority.

9. The School shall enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in the section 19 of the Act.

10. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the same name of school.

11. The School is run by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a public trust constituted under any law for the time being in force.

12. The School is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.

13. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared as per rules. A copy each of the Statements of Accounts should be sent to the Zila Shiksha Adhikari every year.

14. The recognition Code Number allotted to your school is This may please be noted and quoted for any correspondence with this office.

15. The school furnishes such reports and information as may be required by the Director of Education/ Zila Shiksha Adhikari from time to time and complies with such instructions of the State Government/local authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.

16. Renewal of Registration of Society, if any, be ensured.

17. The School Management/Trust and staff shall abide by the directions of the State Government issued from time to time.

18. Other conditions as per Annexure 'III' enclosed.

Yours faithfully,

Zila Shiksha Adhikari

पी०एस०य०पी०-ए०पी० 319 राजपत्र (हिं) 2011-(797)-599-(क०/टी०/आ०)।
पी०एस०य०पी०-ए०पी० 4 साल शिक्षा-2011-(798)-500-(क०/टी०/आ०)।